(नियम – 26)

उपखण्ड अधिकारी

अदालत अनुराग किशोर शर्मा (उपखण्ड) [illegible] नीमकाथाना

मुकदमा ...अन्य पत्र... मु न ...587... वर्ष ...2017...

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	रिपोर्ट सारिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री ...नवीन यादव... एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे।	

प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द व हस्तानन्तरण करने तथा रहन के लिए आमादा हो रहे है। प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक ...3/11/17... तक विवाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर ...28, 231 250 251 252 किता 5 रकबा 5.91 है...

/

...अवस्थित ग्राम ...चला... तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के ...बेचान नहीं करेंगे एवं स्थिति यथास्थिति... बनाये रखें।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय [illegible] विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन [illegible] अन्तरिम [illegible] निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में [illegible] कर दी [illegible]। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक ...[illegible]... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:44:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

... अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/2/18 का पेश हो।

29/3/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O. सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/5/18 को पेश हो।

29/5/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/8/18 का पेश हो।

21/8/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O. सा. दौर पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/10/18 को पेश हो।

22/10/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/12/18 का पेश हो।

11/12/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/7/19 का पेश हो।

[illegible] पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक ______ का पेश हो।

29/7/19 मुलाहिजा (प्रतिवादी) बजरंग लाल पुत्र [illegible] प्रस्तुत के सक प्रार्थना पत्र बाबत विरासत व नामान्तरकरण तहरीक होने बाबत पेश किया। तथा विरासत के नामान्तरकरण तहरीर करने बाबत वकील [illegible] ने No objection किया। [illegible] दिनांक 3-10-17 को अन्तरिम T.I से विरासत इन्तकाल खोलने से मुक्त किया जाता है। अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से विरासत [illegible] प्रभावित [illegible] 4 [illegible] [illegible] 3 5 [illegible] 12 [illegible] आ. [illegible] [illegible] 1, [illegible] 22-9-19 को पेश हो।

विरासत का खाता खोलने में आपत्ति नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:44:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर .... वर्ष ....

जिन्स मुकदमा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/9/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक राज. आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/11/23 को पेश हो।	
16/11/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 25/1/24 को पेश हो।	
25/1/24	वकुलाय उप.। जवाब हेतु अवसर चाहा। अंतिम अवसर दिया जाता है। वकील प्रार्थी को अनुपालना की तलबी हेतु आवश्यक ... वकि. नोटिस तलबाना पेश करें। बाबत तामील व जवाब पत्रावली दिनांक 5/4/24 को पेश हो।	
5/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 17/5/24 को पेश हो।	
17/5/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलवायी जाने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केस शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।	

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:44:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner